

कम संख्या— 70

पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0ओ0 30/2012-14 (लाइसेन्स टू
पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 12 मार्च, 2014 ई0 फाल्गुन 21,

1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 112/xxxvi(3)/2014/18(1)/2014 देहरादून, 12

मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 को दिनांक 04 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2014 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- 1 -

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2014}

सड़क संरचना के दुरुप्रयोग, क्षति, अनाधिकृत प्रयोग और अतिक्रमण की रोकधाम के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम

बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, 1. (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम,
2004 विस्तार और कहा जायेगा।
प्रारम्भ (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अथवा अपेक्षित न हो —

(क) “कृषि” में उद्यान, दुग्धपालन, मुर्गीपालन, और किसी बगीचे में वृक्षारोपण और उसका रख रखाव सम्मिलित है,

(ख) “अपीलीय प्राधिकारी” से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही

अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अभिप्रेत है,

- (ग) "भवन" से आवास, झोपड़ी अथवा अन्य छत का ढांचा चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए हो अथवा किसी सामाग्री से निर्मित हो और उसका कोई भाग तथा इसमें कोई दीवार अथवा पक्का घर अथवा पक्की खाई अथवा नाली सम्मिलित है किन्तु इसमें कोई तम्बू अथवा कृषि प्रयोजन के लिए बाड़ सम्मिलित नहीं है,
 - (घ) "भवन कम" से किसी सड़क या किसी सड़क के भाग के एक ओर के कम जिसे सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना से ऐसी सड़क अथवा भाग में नियत रीति से विहित करे, अभिप्रेत है,
 - (ङ) "अनुमोदन प्राधिकारी" से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,
 - (च) "नियंत्रित क्षेत्र" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश पार्श्व सड़क भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945(समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 के अधीन घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,
- 2 -
- (छ) "नियंत्रित कम" सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना से ऐसी सड़क अथवा भाग के सम्बन्ध में नियत रीति से विहित भवन कम से इतर किसी सड़क अथवा किसी सड़क के भाग के किसी क्षेत्र का कम अभिप्रेत है,
 - (ज) "विभाग" से उत्तराखण्ड सरकार का ऐसा विभाग जो सड़क संरचना से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करता है, अभिप्रेत है,
 - (झ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है,
 - (ञ) "नक्शे" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भाग का सड़क संरचना नक्शा अभिप्रेत है,
 - (ट) "शासकीय गजट" से उत्तराखण्ड का राजपत्र अभिप्रेत है,
 - (ठ) "पूजा स्थल" में मंदिर, चर्च, मस्जिद, इमाम बाड़ा, दरगाह, करबला, तकिया, इदगाह, समाधि, मठ, सती का स्थान अथवा गुरुद्वारा सम्मिलित है,
 - (ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,
 - (ढ) "विहित प्राधिकारी" से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है,
 - (ण) "पुनर्विलोकन प्राधिकारी" से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का सचिव अभिप्रेत है,

(त) "सड़क" से उत्तराखण्ड सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी संरक्षित सड़क अभिप्रेत है और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित नहीं है,

(थ) "सड़क संरचना" से यातायात अथवा संचार के लिए कोई सड़क, पथ और गली अभिप्रेत है, और इसमें—

(एक) अर्जित सड़क भूमि की चौड़ाई,

(दो) सभी प्रकार की सड़क और उनकी संरचना, जैसे सड़क खडन्जा, किनारे, खड़ी दीवार, तिरछी दीवार, सामान्य दीवार, नालियां, मोड़, सड़क किनारे की नालियां, सड़क मिलान, मेडियेन्स, ठोकर जैसे रम्बल स्ट्रीप, पथ प्रकाश, यातायात रोशनी इत्यादि,

(तीन) कोई यातायात और संचार पद्धति सड़क की सहायक संरचना,

(चार) पुल जिसमें पहुंच मार्ग, खड़ी दीवार, तिरछी दीवार, सुरक्षात्मक कार्य और सहयोगी संरचना सम्मिलित है,

(पांच) एक्सप्रेस मार्ग जिसमें आपसी परिवर्तन, श्रेणी बटवारा, द्वि-भाग और अन्य आवश्यक संरचना सम्मिलित है,

(छ:) सड़क सुविधा जैसे पैराफिटस, रैलिंग, मोड़ पत्थर, किलोमीटर पत्थर, बैंच, निशान, दर्शनीय और साइन बोर्ड, बैरीकेटिंग और कैंश बेरीयर,

(सात) सड़क ऊपरी पुल, फ्लाईओवर्स और आने जाने के मार्ग तथा उनकी

- 3 -

सहयोगी संरचना,

(आठ) सड़क पार्श्व पार्किंग स्थल,

(नौ) सड़क पार्श्व वृक्षारोपण, नर्सरी, हैज और अन्य भू-दृश्य वस्तुएं,

(दस) टॉल बूथ/प्लाजा,

(ग्यारह) सुरंगें और आवश्यक संरचना,

(बारह) मार्ग पार्श्व सुविधाएं/संरचना जैसे वर्षा से बचाव के लिए बस लेन, सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क और सड़क से संलग्न भूमि पर स्थित खुला स्थान,

(द) "सचिव" से लोक निर्माण विभाग का उत्तराखण्ड सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रदत्त किन्ही अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के सचिव के रूप में किसी समय के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ध) "कार्य निरीक्षक" से अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक विभाग का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विभाग का वर्क एजेन्ट मेट सम्मिलित है।

आश्रय, बाई
शासकीय

लिए

निर्माण

और

अतिक्रमण पर

3. कोई व्यक्ति — निषेध

संरचना के अधीन सरकारी भूमि का अधिक्रमण नहीं करेगा,
अस्थायी अथवा चलित संरचना सड़क पर अथवा सड़क

संरचना से नहीं बनायेगा,

(तीन) किसी कार्यशाला अथवा किसी वाणिज्यिक गतिविधियों का

कार्यन्वयन

जिसमें सड़क संरचना पर पशुओं को बांधने सहित सड़क का दुरुपयोग नहीं करेगा,

(चार) सड़क किनारे की नालियों और आर-पार नालियों की पद्धति को

(एक) सड़क

(दो) कोई स्थायी,

क्षति / खुदाई	अवरोध / क्षति नहीं पहुंचायेगा, (पांच) सड़क पर निजी सम्पत्तियों से कूड़ा करकट नहीं फेंकेगा, (छः) सड़क पर खुदान की मिट्टी / मलवा या कोई अन्य सामग्री नहीं फैलायेगा और अनाधिकृत रूप से सामग्री / वस्तुओं का स्थायी भण्डारण नहीं करेगा, (सात) सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना सड़क संरचना को नहीं करेगा, (आठ) अनाधिकृत रूप से कोई हैंडपम्प अथवा पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं करेगा, (नौ) पहुंच मार्ग, सुरक्षा दीवार और बिग दीवार, पैराफिट, रैलिंग, और
प्रकाश	पद्धति, सुरक्षात्मक कार्य, सुरंग, उनके सहयोगी संरचना तथा अन्य संरचनाएं जैसे सड़क खडन्जा, किनारे, रिटेनिंग दीवार, ब्रेस्ट
दीवार, दो	दीवार, निकासी नालियां और सड़क किनारे की नालियां, सड़क मिलान, ठोकर जैसे रम्बल स्ट्रीप्स, पथप्रकाश, यातायात प्रकाश,

- 4 -

- बैरीकेट्स, कैश बैरियर, साइन बोर्ड, किलोमीटर पत्थर, सन्दर्भ पिलर, चाहरदीवारी पिलर, सड़क चिन्हाकन संरचनाएं, पैदल मार्ग, टॉलबूथ/प्लाजा, मार्ग की सुविधाएं जैसे वर्षा से बचाव के लिए आश्रय, बाई बस लेन, लोक सुविधाओं के लिए पार्क तथा सड़क एवं भवनों से लगी खाली भूमि और अन्य संरचनाएं जो कि सड़क की रखरखाव और यातायात की सुविधा दिलाने के लिए आवश्यक हो सहित पुल, सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, और अनिम्न प्रवेश को क्षति/विरूपित नहीं करेगा,
- (दस) दुर्घटना स्थल अथवा अनुपयुक्त अथवा मरम्मत अथवा मरम्मत के बिना अथवा बेकार सामग्री / मशीनों को सड़क पर खड़ा नहीं करेगा,
- (ग्यारह) सड़क के किनारे किए गये वृक्षारोपण, नर्सरी, हैज और अन्य भू-दृश्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त/नहीं उखाड़ेगा,
- (बारह) अनाधिकृत रूप से होर्डिंग को प्रयोग नहीं करेगा,
- (तेरह) उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण का प्रतिषेध अधिनियम, 2003 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य नहीं करेगा,
- (चौदह) अनाधिकृत रूप से स्वागत द्वार इत्यादि को नहीं हटायेगा,
- (पन्द्रह) इस धारा के अधीन सरकार अधिसूचित कोई विलोपन अथवा आचरण का कोई कृत्य कारित नहीं करेगा, जो कि सड़क संरचना के लिए हानिकारक हो,
- (सोलह) क्षेत्र में खनन के फलस्वरूप सड़क संरचना को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा,
- (सत्तरह) नियंत्रित क्षेत्र में कोई ढांचा न तो लगायेगा और न ही बनायेगा।

संरचना लम्बाई	4. (1) सड़क संरचना का प्रभारी अधिशासी अभियन्ता 1.500 माप पर अपने क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना का एक नक्शा जो कि सड़क की और चौड़ाई को प्रदर्शित करें, तैयार करेगा।
	(2) नक्शे में महत्वपूर्ण स्थलों जिसमें भवन और नियंत्रण रेखाएं तथा राजस्व विभाग द्वारा नियत स्थल सहित सड़क संरचना के रूप में सड़क संरचना के चिन्हाकन और पुनः सीमांकन के लिए संदर्भ

बिन्दु भी प्रदर्शित करेगा और नक्शे को सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

- (3) सरकार समाचार पत्रों में प्रकाशित कर लोगो को सड़क के नक्शे के विद्यमानता के सम्बन्ध में उसकी चाहरदीवारी तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलो को दर्शायेगा तथा सड़क संरचना के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में लोक निरीक्षण के लिए ऐसे नक्शे को उपलब्ध करायेगा तथा समाचार पत्र में सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिन से साठ दिन के भीतर लोगो से आपत्तियां आमंत्रित करेगा और इसी प्रकार से प्रत्येक विस्तार अथवा परिवर्तन को क्रमशः प्रदर्शित करेगा।
- (4) उठायी गई आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् सरकार ऐसे नक्शे को अंतिम रूप देगी और उसकी विधिमान्यता और अधिशासी अभियन्ता के

-5-

कार्यालय में संदर्भ तथा प्रयोग की उपलब्धता के सम्बन्ध में जनता को सूचित करेगा।

- (5) उपधारा 3 के अधीन कार्यवाही कर लिए जाने के पश्चात् उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के खण्ड में सड़क संरचनात्मक के संदर्भ अभिलेख में रख दिया जायेगा और वह खण्ड के सड़क संरचना नक्शा के रूप में जाना जायेगा।
- (6) विहित/अनुमोदित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के होने पर उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड के सड़क संरचना नक्शे को निर्धारण हेतु संदर्भित किया जायेगा।
- (7) सड़क संरचना नक्शा जन सामान्य के निरीक्षण के लिए खण्ड में उपलब्ध रहेगा और विहित शुल्क के भुगतान करने पर क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।
- (8) राजमार्ग सहित भूमि के नियंत्रण के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार चिन्हित करेगी और सड़क के किनारे की निजी सम्पत्ति को भवन कम और नियंत्रण रेखा से दूर करने के लिए बाध्य करेगी।

निरीक्षक के
कर्तव्य
कोई

5.

विहित प्राधिकारी अथवा कार्य निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसके क्षेत्राधिकार में अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियां नहीं हो रही है।

प्रतिषिद्ध

6.

विहित गतिविधियों का
आदेश प्रकटन

(1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी गतिविधि की जानकारी होने पर प्राधिकारी दोषी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध गतिविधियों रोकने के लिए जारी करेगा एवं आवश्यकता होने पर सड़क संरचना को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देगा।

(2) उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी का आदेश प्रतिषिद्ध गतिविधि को स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए लिखित रूप में होगा और स्कैच के माध्यम से भी प्रतिषिद्ध गतिविधि के प्रकटन की स्थिति नक्शे के

सम्बन्धित भाग पर इंगित करेगा तथा ऐसी गतिविधि के विस्तार पर हुई क्षति अथवा होने वाली क्षति से अवगत करायेगा।

- (3) विहित प्राधिकारी दोषी व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सड़क संरचना को अपने मूल स्थिति में लाने हेतु निर्देशित करेगा व नोटिस जारी करने के तीन दिन के भीतर यथास्थिति बनाये रखने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने और पूर्ण करने अनुदत्त समय भी प्रदान करेगा।
- (4) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये कोई निर्देश अथवा पारित आदेश का अनुपालन में असफल रहने वाले विशेष रूप से दोषी व्यक्ति के मूल्य और उसके जोखिम पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए कार्यवाही करेगा, इसके अतिरिक्त मौलिक रूप में लाने हेतु मूल्य को अधिरोपित कर सकेगा। इस प्रकार आय-व्यय की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जा सकेगी और विहित प्राधिकारी तदनुसार सरकार को सुनिश्चित करेगा और विहित रीति से किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि के

- 6 -

फलस्वरूप उपयोग में लायी गई सम्पत्ति को जब्त कर विक्री करेगा।

- (5) नोटिस की तामील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गई रीति के अनुरूप होगी।
- (6) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश को किसी आधार पर किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

दण्ड का
विहित अधिरोपण
कब्जे में
अभिरक्षा
लेकिन

7. इस अधिनियम की धारा 11 में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है, प्राधिकारी सड़क संरचना पर छोड़े गये वाहन/मशीन/सामाग्री को लेगा और इसके अतिरिक्त हटाने के मूल्य पर विहित प्राधिकारी की में वाहन/मशीन/सामाग्री रखने की अवधि के लिए बीस हजार रुपये न्यूनतम पांच हजार तक का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा,

परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में लिए गये वाहन/मशीन/सामाग्री को दस दिन से अधिक के लिए रखा जाता है तो अनुमोदन प्राधिकारी कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण के लिए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 और 27 के अधीन कार्यवाही करेगा।

आपत्तियों पर
सुनवाई

8. व्यथित पक्ष का विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अनुमोदन प्राधिकारी को उक्त आदेश की तामील के पन्द्रह दिन के भीतर आपत्ति योजित कर सकेगा और अनुमोदन प्राधिकारी व्यथित पक्षकार को सुनवाई अवसर देते हुए और उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर अनुमोदन अथवा निरस्त करने के आदेश स्वपठित और कारण सहित विहित प्राधिकारी के माध्यम से जारी करेगा।

अपील
तब
दी

9. (1) अनुमोदन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अनुमोदन प्राधिकारी के आदेश के पारित होने के तीस दिन के भीतर अपील योजित न कर गई हो,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कोई अपील स्वीकार की जा सकेगी यदि आवेदक

अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील योजित न करने के पर्याप्त कारण थे,

परन्तु यह और कि आवेदक जब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील योजित करें, विभाग द्वारा आंकलित सम्भावित मूल्य की पचास प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील के योजित होने के तीस दिन के भीतर अनुमोदन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित अथवा खारिज कर सकेगा।

अपीलीय
से प्राधिकारी
भीतर

10.

(1) धारा 9 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के संसूचित होने के तीस दिन के पुनर्विलोकन के लिए सरकार को आवेदन कर सकेगा।

- 7 -

(2) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन प्राधिकारी पुनर्विलोकन आवेदन के प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर या तो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को अनुमोदित करेगा अथवा खारिज करेगा। सरकार इस धारा के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

शुल्क
प्रतिषिद्ध
संरचना
ऐसा

11.

(1) धारा तीन के खण्ड (एक), (तीन) और (आठ) में संदर्भित किसी गतिविधि में सम्मिलित कोई व्यक्ति को विहित प्राधिकारी सड़क को उसके मौलिक रूप में लाने के लिए आदेश दे सकेगा और यदि व्यक्ति ऐसे आदेश पारित होने के तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है तथा अनुदत्त समय के भीतर पूरा नहीं करता है तो विहित प्राधिकारी त्रुटिकर्ता के मूल्य पर आदेश को प्रभावी किये जाने हेतु ऐसे उपाय कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझें।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्धों अथवा उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कार्य करता है अथवा अनुपालना करने में असमर्थ रहता है तो विहित प्राधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर देकर ऐसे व्यक्ति को सड़क संरचना को मौलिक रूप में लाये जाने का शुल्क तथा सड़क संरचना के मौलिक मूल्य को अतिरिक्त रूप से निम्नवत् भुगतान करने के आदेश दे सकेगा—

(एक) धारा 3 के खण्ड (दो), (चार), (पांच), (सात), (नौ), (ग्यारह), (सोलह) और (सत्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए मौलिक मूल्य के पांच गुने के बराबर होगा,

(दो) धारा 3 के खण्ड (छः) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए खुदान की मिट्टी / मलवा के संदर्भ में एक हजार रुपये प्रतिघन मीटर अथवा उसके भाग और खड़ी / पड़ी सामग्री के संदर्भ में दो हजार रुपये प्रति ट्रक भार अथवा उसके किसी भाग के प्रतिदिन की दर से,

- (तीन) धारा 3 के खण्ड (बारह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए एक हजार रुपये प्रतिघन मीटर प्रति सप्ताह तब के लिए जब तक यह बना रहे,
- (चार) धारा 3 के खण्ड (चौदह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपये प्रति मीटर, प्रतिदिन की दर से तब के लिए जब तक यह बना रहे,
- (पांच) धारा 3 के खण्ड (तेरह) आथवा (पन्द्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए हटाने के मूल्य के पांच गुने की दर से।

स्पष्टीकरण— (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन सभी मौलिक मूल्य और देय शुल्क दस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को जमा किये जायेंगे और

- 8 -

ऐसा करने में असफल रहने पर इसे भू-राजस्व के अवशेष के रूप में ब्याज सहित जो कि जमा के लिए अंतिम तारीख के अनुसरण से प्रारम्भ होगा, वसूल किया जायेगा।

(2) हटाने/मौलिक मूल्य का निर्धारण उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्तमान दरों की प्रवृत्त अनुसूची के अनुरूप होगा।

अपराध पर
अथवा संज्ञान

12.

- (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य के लिए अभियुक्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा (5) के अधीन सौंपे गये दायित्वों में असफल रहने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
- (2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई दण्डनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं ले सकेगा, जब तक कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार अधिकृत किसी लोक सेवक के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की जाती है।

अपराधों का
के विचारण
होगा।

13.

इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के विचारण हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अनिम्न श्रेणी सुनवाई हेतु सक्षम नहीं

सुविधाओं का
अर्थात्— उपभोग

14.

- प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित सुविधाओं का उपभोग करेगा;
- (एक) सड़क संरचना से निजी सम्पत्ति को पहुँच मार्ग बनायेगा,
- (दो) पाईप लाईन, सिवेज लाईन, विद्युत केबिल, टेलीफोन केबिल आदि को बिछायेगा चाहे वह सड़क अथवा पुल के एक ओर हो या दोनों ओर हो,
- (तीन) विद्यमान सड़क के एक ओर 50 मीटर के भीतर खनन गतिविधि अथवा किसी पुल के 500 मीटर ऊपर धारा या 50 मीटर नीचे धारा खनन की गतिविधियां,
- (चार) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी निजी अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन,
- (पांच) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर होर्डिंग का प्रदर्शन,
- (छ) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर हैंडपम्पों को लगाना,

(सात) 48 घण्टे तक की अनधिक अधिक के लि दुर्घटना घटित वाहन/वस्तुओं को खड़ा रखना, और

(आठ) 48 घंटे से अनधिक अवधि के लिए सड़क पर किसी सामाग्री/वस्तुओं का स्थायी भण्डारण हेतु खण्ड (एक) से (छः) के अधीन सड़क संरचना के क्षेत्राधिकार वाले प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से तथा इस धारा के खण्ड (सात) और (आठ) के अधीन सुविधा के लिए प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता से लिखित रूप से अनुमति प्राप्ति हेतु आवेदन करेगा एवं इस प्रकार की अनुमति हेतु सभी आवेदन विहित रीति से किये जायेंगे,

बशर्ते कि इस धारा के अधीन उल्लिखित अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर इस अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार

- 9 -

मूल्य/शुल्क को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा,

परन्तु यह कि इस धारा में उल्लिखित सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की दशा में लाभग्राही को कार्य की पूंजी जमा करनी होगी।

वाद का परीक्षण 15.
किसी

अनुमोदन प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन

कृत्य को सम्पादित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद के परीक्षण के समय पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियां प्राप्त होगी—

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना एवं उपस्थिति हेतु बाध्य करना तथा शपथ प्राप्त करना,

(ख) अभिलेखों के परीक्षण की अपेक्षा और प्रस्तुतिकरण, और

(ग) अन्य कोई मामले जो विहित किये जायें।

वाद वर्जन
प्राधिकारी

16. इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित

अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी विभाग के किसी उच्चतर अधिकारी के निर्देश अथवा आदेशों के पालन में किसी कृत्यों के लिए जो उसके द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो, के विरुद्ध कोई वाद या अभियोग नहीं चलाया जायेगा।

क्षेत्राधिकार
के

17. इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी मामले

असफल होने के सम्बन्ध में किसी प्रश्न के निस्तारण अथवा प्रस्तुत करने का कोई क्षेत्राधिकार किसी सिविल न्यायालय का नहीं होगा।

विभागीय
अभिरक्षा

18. सभी सड़क संरचनाएं, जैसे ही यह प्रभाव में आएगा, सरकार की ओर से विभाग की अभिरक्षा में समझे जायेंगे।

निकायों को
नगर

19. सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के भीतर स्थित

शक्ति प्रदान

निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और विकास प्राधिकारियों को उनके

करना
और

क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों के सम्पादन

ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सशक्त कर सकेगी।

नियम बनाने की
प्रयोजनों के
शक्ति

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के

कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अथात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अथवा अधिकृत किये जाने के लिए किसी नोटिस का प्रारूप और इसे तामील करने की रीति,

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संचालन,

(ग) विहित प्राधिकारी के कार्य का वितरण और आवंटन तथा किसी लम्बित कार्यवाही को किसी विहित प्राधिकारी से अन्य विहित प्राधिकारी को अन्तरित किया जाना,

- 10 -

(घ) प्रतिषिद्ध गतिविधियों के कृत्यों के परिणामस्वरूप हुई क्षति के आंकलन की रीति और ऐसे क्षति के आंकलन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धान्त,

(ङ.) सड़क संरचना की पहुँच के सन्दर्भ में नक्शा तैयार करने की रीति,

(च) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अथवा इन्कार की जाने वाली अनुमति की रीति और अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क, तथा,

(छ) कोई अन्य मामले जो विहित किये जायें।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्वधीन होंगे।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

- 11 -

The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014

(Uttarakhand Act No. 15 of 2014)

An

Act

to provide for prevention of misuse, damage, unauthorized use and encroachment of the road infrastructure.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Sixty-fifth year of the Republic of India, as follows:

Short title, extend	1	(1) This Act may be called the Uttarakhand Road and Infrastructure Protection Act, 2014.
commencement		(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand. (3) It shall come into force at once.
Definition	2	In this Act, unless the context otherwise requires, - (a) “agriculture” includes horticulture, dairy farming, poultry farming and the planting and upkeep of an orchard; (b) “appellate authority” means the Chief Engineer in-charge of the zone of Uttarakhand Public Works Department, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder; (c) “building” means a house, hut, shed, or other roofed structure, for whatever purpose or of whatsoever material constructed and every part thereof, and included a wall or masonry platform or masonry ditch or drain but does not include a tent or a fence for agricultural purposes; (d) “building line” means a line on either side of any road or part of a road, fixed in the manner prescribed, in respect of such road or part, by the Government, by notification in the Official Gazette; (e) “confirmatory authority” means any authority not below the rank Executive Engineer of Uttarakhand Public Works Department appointed by the Gov (f) “controlled area” for the purpose of this Act shall mean an area declared as such under section 3 of Uttar Pradesh Road Side Land Control Act, 1945 (from amended time to time) (g) “Controlled line” means a line on either side of any road or part of a road beyond the building line fixed in the manner prescribed, in respect of such road or part, by the Government, by notification in the Official Gazette; (h) “Department” means the department of the Gov

- (i) “Government” means the Government of Uttarakhand;
- (j) “Map” means the road infrastructure map of a division, notified by the State Government under section 4 of this Act,
- (l) “place of worship” includes a temple, church, mosque, imambara, dargah, karbala, takya, idgah, smadhi, math, sati ka sthan or gurudwara;
- (m) “Prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (n) “Prescribed authority” means any authority not below the rank of Junior Engineer of Uttarakhand Public Works Department, appointed by the Government by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred under him under this act and the rules made thereunder;

- 13 -

- (o) “Revisional authority” means Secretary (Public Works Department) to the Government of Uttarakhand, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder;
- (p) “Road” means a road maintained by the Government of Uttarakhand or any local authority and shall not include National Highways declared under the National Highway Act, 1956;
- (q) “Road infrastructure” means the roads, paths and streets for transport or communication and shall include:-
 - (i) acquired road land width;
 - (ii) all types of road and their structure, such as road pavements, shoulders, retaining walls, breasts walls, toe walls, cross-drainage, kerb, road side drains, road junctions, medians, speed breakers, i.e. rumble strips, street lighting, traffic lights etc.;
 - (iii) any structure ancillary to road transport and communication system;

(iv) bridges including approaches, return walls, wing walls, protection works and allied structures;

(v) expressways including interchanges, grade separators, dividers and other ancillary structures;

(vi) road furniture, such as parapets, railings, kerb stones, kilometer stones, benches, cat eyes, reflector pedestals and signboards, barricades and crash barriers;

(vii) road over bridges, flyovers and under passes and their allied structures;

(viii) roadside parking area;

(ix) roadside plantation, nurseries, hedges and other

- 14 -

landscape items;

(x) toll booths/ plaza;

(xi) tunnels and ancillary structures;

(xii) wayside amenities/ structure, such as rain shelter, lay byes bus lanes, public conveniences, parks and open spaces located on Government land along the road;

(r) “Secretary” means Secretary Public Works Department to the Government of Uttarakhand and includes any person for the time being appointed by the Government, by notification, to exercise and perform all or any of the powers and function of the Secretary under this Act and the rules made thereunder; and

(s) “Work Inspector” means any employee of the Uttarakhand Public Works Department, appointed by the State Government by notification, as such, and includes Work agent and Mate of the department.

Prohibition of 3
encroachment

No person shall-

(i) encroach upon the Government land under road infrastructure;

(ii) raise any permanent, temporary or movable structure on or from road infrastructure;

- (iii) misuse a road by erecting workshop and carrying out commercial activity including tethering of livestock on road infrastructure;
- (iv) block/ damage roadside drain and cross drainage system;
- (v) divert sullage/ muck from private properties to the road;
- (vi) stack/ throw excavated earth/ debris on roads and unauthorisedly stack material on roads;
- (vii) dig/ damage road infrastructure without permission from competent authority;
- (viii) un-authorisedly install hand pumps and petrol pumps;
- (ix) damage/ deface bridges, road over bridges, flyovers and under- passes including approaches, return walls and wing wall, parapets, railing and lighting system, protection works, tunnels and their ancillary structures and other structures such as road pavement, shoulders, retaining walls, breast walls, toe walls, cross-drainage and roadside drains, road junctions, medians, speed-breakers, i/e rumble strips, street lighting, traffic lights, barricades, crash barriers, sign board, kilometer stone, reference pillar, boundary pillar, road identification marked infrastructure, pedestals benches, toll booths/ plaza, way side amenities such as rain shelters, lay byes, bus lanes, public conveniences parks and open spaces along the road and building any other structure meant for facilitating road transportation and maintenance of roads;
- (x) part accidental or condemned or serviceable or unserviceable vehicles or goods/ machinery on the road;
- (xi) damage/ uproot roadside plantation, nurseries, hedges and other landscape items;
- (xii) un-authorisedly display of hoardings;

- 15 -

(xiii) commit an act prohibited under the Uttarakhand Prevention of Defacement of Public Property Act, 2003;

(xiv) un-authorisedly erect welcome gated, arches etc;

(xv) commit any act of omission or commission that may be notified by the Government under this section as injurious to the road infrastructures;

(xvi) damage road infrastructure due to mining in the area;

(xvii) erect or construct any structure in the controlled area.

Structure
infrastructure
road
therein

4 (1) Executive Engineer in-charge of the road shall prepare on a scale of 1:500 a map of the infrastructure within his jurisdiction showing

- 16 -

the length and width of the road.

(2) The map shall also show important landmarks including building and control lines and landmarks fixed by the Revenue Department along the road infrastructure as reference points for identification and demarcation of the road infrastructure and the map shall be approved by the Chief Engineer in-charge of the Zone concerned.

(3) the Government shall, through publication in newspapers, inform the public regarding the existence of maps of the roads showing their boundaries and other important landmarks and the availability of such maps of public inspection in office of the Executive Engineer- in-charge of the road infrastructure and the Government shall also invite public objections within sixty days of first publication of the notice in newspapers and similarly for every addition or change made therein subsequently.

(4) After adjudication upon the objections raised, the Government shall finalise such maps and inform the public regarding their existence and availability in the Executive Engineer's office for reference and use.

(5) After action under sub-section (3) has been taken, the map shall become the reference record of road infrastructure in the division of the Uttarakhand Public Works Department and shall be known as 'road infrastructure map' of a division.

(6) The occurrence of all prohibited activities within the jurisdiction of the prescribed/ confirmatory authority may be determined with reference to this road infrastructure map of the concerned division of Uttarakhand Public Works Department.

(7) It shall be open to public to inspect the road infrastructure map of a division and obtain certified copies from the Executive Engineer concerned of the

- 17 -

area on payment of prescribed fee.

(8) For control of land along highways and for removal of encroachments, the Government shall demarcate and enforce building lines and control lines on the private lands beyond the right way of the road .

Duties
of
Work
Inspector
activity

of 5

It shall be the duty of the prescribed authority or

Inspector, as the case may be to ensure that no

prohibited under section 3 of the Act occurs within his jurisdiction.

Display
prohibited
prohibited
issue an
Activities

of 6

(1) On noting the occurrence of any activity

under section 3, the prescribed authority shall

order directing the defaulter to stop forthwith the prohibited activity and where necessary, order the restoration of status quo of the road infrastructure.

(2) An order of the prescribed authority under sub- section (1) shall clearly describe in writing the prohibited activity and also indicate by way of sketch, the

location of the occurrence of prohibited activity on a relevant portion of the map and the extent of such activity and the damage already caused or being caused.

- (3) The prescribed authority shall also direct the defaulter to restore the status of the road infrastructure to its original position within a specified period of time by starting the process of restoration within 3 days from the issue of notice and complete the same within the allowed time.
- (4) The prescribed authority shall indicate specifically that in the event of failure to comply with any direction or order passed under this section, steps shall be taken to restore the status quo at the risk and cost of the defaulter, in addition to the restoration cost to be impose. The expenditure so incurred shall liable to be recovered as arrears of land revenue and the prescribed authority shall confiscate to the Government and sell the dismantled property used in the commission of a prohibited activity in the prescribed manner.
- (5) The service of notice shall be effected in the manner as provided in Code of Civil Procedure, 1908.
- (6) Any order passed under this section shall not be liable to be challenged in any civil court on any ground whatsoever.

Imposition of 7 punishment Save as provided in section 11 of this Act, the prescribed authority shall impound vehicles/ machinery/goods abandoned on road infrastructure and in addition to the cost of removal, impose a penalty which may extend upto Twenty Thousand Rupees but shall not less than five thousand Rupees for the period during which the vehicles/machinery/goods remain in the custody of

the prescribed authority:

Provided that if an impounded vehicle/ machinery/goods remain in the custody of the prescribed authority for a period more than 10 days, the confirmatory authority shall take action under sections 25, 26 and 27 of the Indian Police Act, 1861 for disposal of abandoned property.

Hearing
the
objection

on 8 The aggrieved party may file objections, against order issued by the prescribed authority, to the confirmatory authority within a period of 15 days from the service of said order and confirmatory authority shall thereafter shall afford an opportunity to the aggrieved party to be heard in person and thereafter shall pass an order within a period of 30 days confirming or setting aside the order passed by the prescribed authority through a self speaking and reasoned order.

Appeal

9 (1) No appeal shall be entertained against any order passed by the confirmatory authority, unless, the appeal is filed within 30 days from the passing of order by the confirmatory authority;

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period specified under this section, if the appellant satisfies the appellate authority that he has sufficient cause for not preferring appeal within that period;

Provided further that the appellant while filing the appeal against such order, shall deposit 50% of the anticipated restoration cost as assessed

(2) The appellate authority shall, within 30 days of the filing of the appeal, pass an order confirming or setting aside the order passed by the confirmatory authority.

Appellate
appeal authority

10 (1) Any person aggrieved by an order passed in by the appellate authority under section 9 may, within 30 days of communication of such order,

make an application to the Government seeking revision.

(2) The revisional authority shall within 30 days of the filing of revision application against the order of the appellate authority pass an order confirming or setting aside the order of the appellate authority. The Government shall not pass an order under this section prejudiced to any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

Fees
who
to in
road
person
of 7

prescribed

11 (1) The prescribed authority may order any person, has indulged in a prohibited activity as referred clauses (i), (iii) and (viii) of section 3 to restore infrastructure to its original state and if such fails to start the restoration work within a period days from the date of passing of such order and completing it within the time allowed, the

- 20 -

authority shall take such measures as may appear to him to be necessary, to give effect to the orders at the cost of the defaulter.

(2) If a person contravenes or fail to comply with, any provisions of this Act or any order made under sub-section (1), the prescribed authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard, direct such person to pay, by way of restoration fee, in addition to the cost of restoration of road infrastructure-

(i) for contravention of any prohibited activities as referred to in clauses (ii), (iv), (v), (vii), (ix), (xvi) and (xvii) of section 3, an amount which shall be five times of the restoration cost;

(ii) for contravention of prohibited activities as referred to in clause (vi) of section 3, an amount @ one thousand rupees per cubic meter or part thereof per day in respect of excavated earth/ debris and @ two thousand rupees per truck load or part thereof per day in respect to stacked material;

- (iii) for contravention of prohibited activities as referred to in clause (xii) of section 3, a amount @ one thousand rupees per square meter per eek till the time such act continues;
- (iv) for contravention of the prohibited activities as referred to in clause (xiv) of section 3, an amount @ five hundred rupees per running meter of the erection per day till the time the act continues; and
- (v) for contravention of the prohibited activities as referred to in clause (xiii) or (xv) of section 3, an amount @ five times the cost of removal.

Explanation: (1) All restoration costs and fees payable

- 21 -

under the provisions of this section shall be deposited with the prescribed authority within ten days, failing which it shall be recovered as arrears of land revenue with interest

commencing from the day following the last day allowed for deposit.

(2) cost of removal/restoration shall be determined as per the current schedule of rates of Utrakhand Public Works

Department.

Cognizance of 12 (1) Any person who commits any act prohibited under offence assigned section 3 or fails to perform their duties

under section 5 of this Act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or fine, or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (1) against any person, unless a complaint in writing is made by public servant authorised by the Government, by

Trial of offence 13 No court inferior to that of a magistrate of the first class

shall be competent to try any offence punishable under this Act.

Consumption of 14 Every person who intends to have the following facilities

- (i) an approach to private property from the road infrastructure;
- (ii) laying of service such as pipeline, electrical cables, telephone cables etc. either along or across the road or bridge;
- (iii) mining activities within 50 metres from either side of existing road or 500 metres upstream or downstream of a bridge;
- (iv) carrying out any private or commercial activity within the acquired and controlled area;
- (v) display of hoardings within the acquired and controlled area;
- (vi) installation of hand pumps within the acquired and controlled area;
- (vii) parking of accidental vehicles/machinery on the road upto 48 hours; and
- (viii) temporary stacking of materials/goods on the road for a period not exceeding 48 hours, shall apply for permission in writing to the Executive Engineer-in-charge of the road infrastructure within his jurisdiction in respect of respect of facility under clauses (i) to (vi) above and to the Junior Engineer-in-charge in respect of facility under clauses (vii) and (viii) of this section and every such application for permission shall be in the prescribed manner:

Provided that failure to comply with the requirements as contained under this section, shall be liable to pay cost/fee as per provision of section 11 of this Act;

Provided further that the facilities as contained in this section shall be provided by the department as a deposit work for the beneficiary:

- | | | |
|--|----|--|
| Trial of Suit shall, for Act, under in | 15 | <p>The confirmatory authority/prescribed authority the purpose of performing any function under this have the same powers as are vested in a civil court the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit respect of the following matters, namely:-</p> <p>(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;</p> <p>(b) requiring the discovery and production of documents; and</p> <p>(c) any other matter which may be prescribed.</p> |
| Bar of suit the | 16 | <p>No suit or prosecution shall be entertained against</p> <p style="text-align: center;">prescribed authority or any other officer of the department authorised under this Act acting under the order of direction of superior authority of the department, for anything, which is done by him in good faith or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.</p> |
| Jurisdiction or | 17 | <p>No civil court shall have any jurisdiction to entertain</p> <p style="text-align: center;">to decide any question relating to matter failing under this Act or the rules made thereunder.</p> |
| Departmental the custody as | 18 | <p>All the road infrastructure shall be deemed to be in</p> <p style="text-align: center;">custody of the department on behalf of Government,</p> <p style="text-align: center;">soon as it comes into existence.</p> |
| Power to be bodies | 19 | <p>The Government may, by notification, in the Official Municipalities, Nagar Panchayats and Development Authorities within the State of Uttarakhand to exercise such powers and perform such functions, as may be specified in the notification under this Act, in respect of road infrastructure within their jurisdiction.</p> |

Power to make the 20 (1) The State Government may, by notification, in of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the form of any notice required or authorized to be given under this Act and the manner in which it may be served;

(b) the conduct of proceedings under this Act;

(c) the distribution and allocation of work to prescribed authority and transfer of any proceeding pending before a prescribed authority to another prescribed authority;

(d) the manner in which the damage resulting from acts

- 24 -

of prohibited activities may be assessed and the principles which may be taken into account in assessing such damages;

(e) the manner of the laying out of means of access to road infrastructure;

(f) the manner in which permission under this Act, may be granted or refused and fees to be charged; and

(g) any other matter, which may be prescribed.

(3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

(4) All rules made under this section shall be laid before the Legislative Assembly, as soon as they are framed.

- 25 -